न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 91/2019 निर्णय दिनांक 7.2..2020

मूलचन्द पुत्र दाना जाति कुम्हार निवासी श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

-------प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

-------अप्रार्थी

2. तुलछी बेवा दाना 3 टीकमचन्द 4 अषोक कुमार पुत्रगण दाना कुम्हार निवासीगण श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

-------गौण अप्रार्थीगण

उपस्थिति–

1. श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र मूलचन्द ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 33/2 तादादी 40 बीघा 6 बिस्वा राही ग्राम जैसलसर तहसील श्री डूँगरगढ में जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2058 अवस्थित थी । जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा था । खसा नम्बर 33/2 के नये खसरा नम्बर 132 है । उपरोक्त कृशि भूमि के सम्वत 2066–2085 तद!नुसार 7 अगस्त 2009 से 6 अगस्त 2020 तक में प्रार्थी के उपरोक्त कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर बने जिसमें प्रार्थी का नाम उसकी माता के पति के रूप में दर्ज हो गया पिता का नाम दाना लिपिकीय त्रुटिवश नहीं लिखा गया । उक्त सेटलमेन्ट के अनुसार ही आगामी जमाबन्दी सम्वत 2054–2077 में भी प्रार्थी का नाम नहीं लिखा गया है । प्रार्थी की माता तुलछी के पति दाना के स्थान पर प्रार्थी का नाम स्वर्गीय मूलचन्द लिखा गया है । जो पूर्णतया गलत है । प्रार्थी जीवित है । प्रार्थी ने अपनी जमाबन्दी का अवलोकन दिनांक 10.11.2019 को प्रथम बार ऑनलाईन अवलोकन किया ता प्रार्थी को उक्त अशुद्धि का ज्ञान हुआ जिस पर प्रार्थी दिनांक 15.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय से पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2058, भू प्रबन्ध विभाग श्री डूँगरगढ से सेटलमेन्ट रजिस्टर की प्रमाणित नकल, मिलान क्षेत्रफल प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी के उक्त जमाबन्दी में शुद्धि हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने मौखित रूप से कहा कि हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है । आप उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ से कार्यवाही करके शुद्धि का आदेश करवाओ । अतः प्रार्थना पत्र पेष कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खेत खसरा नम्बर 132 तादादी 10.19 हैक्टयर रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्री डूँगरगढ में अंकित प्रार्थी का नाम अकित किया जावे व पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2058 के खसरा नम्बर 33/2 तादादी 40 बीघा 6 बिस्वा रोही ग्राम जैसलसर के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में अंकन किये जाने का आदेश फरमावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी स्टेट की तरफ से जबाब पेश किया गया

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

कि जमाबंदी सम्वत 2058 मे खसरा नम्बर 33/2 तादादी 40.06 बीघा मे वादी का नाम मूलचन्द व माता का नाम तुलछी सही दर्ज हुआ है । तत्पश्चात बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त खसरे के नये खसरा नम्बर 132 तादादी 10.19 हैक्टयर कायम किये गये जिसमें वादी एवं वादी की माता का अंकन सहवन से गलत दर्ज कर दिया । अतः वादी का खसरा नम्बर 132 रोही जैसलसर में तुलछी पत्नी स्व. दाना, मूलचन्द, टीकमचन्द, अशोक कुमार पिसरान दाना जाति कुम्हार बहिब दर्ज किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का पूर्व में राजस्व रिकार्ड में नाम सही था परन्तु बन्दोबस्त के दौरान त्रुटि से होना प्रमाणित होता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 132 तादादी 10.19 हैक्टयर वाके रोही जैसलसर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व रिकार्ड में में प्रार्थी की माता का नाम तुलछी पत्नी स्व. मूलचन्द अंकित है उसके स्थान पर तुलछी पत्नी स्व. दाना एवं मूलचन्द पुत्र दाना का नाम सह खातेदारों के साथ बहिब अंकित करने के आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये जाते है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ राजस्व रिकार्ड में तदनुसार शुद्धि करें ।

यह आदेश आज दिनांक 7.2.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner